पत्रिकाओं में छपने योग्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

आपराधिक अपील संख्या 1441/2022

झारखंड राज्य ..... अपीलकर्ता

बनाम

शैलेंद्र कुमार राय उर्फ पांडव राय ..... प्रतिवादी

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश

विषय-सूची

क. पृष्ठभूमि **4**

i. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण कराए गए गवाहों की गवाही का अवलोकन **5**

क. लल्लन प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं. 11 5

ख. डॉ. आर. के. पांडेय, अभियोजन साक्षी सं. 6 7

ग. डॉ. मीनू मुखर्जी, अभियोजन साक्षी सं. 9 7

घ. डॉ. आर. महतो, अभियोजन साक्षी सं. 8 9

ङ. सुरेश यादव, अभियोजन साक्षी सं. 12 10

च. रेखा दासगुप्ता, अभियोजन साक्षी सं. 7 10

छ. पक्ष द्रोही गवाह 11

ii. बचाव पक्ष द्वारा परीक्षण कराए गए गवाहों की गवाही का अवलोकन **11**

क. धीरेंद्र राय, बचाव साक्षी सं. 1 11

ख. दशरथ तिवारी, बचाव साक्षी सं. 2 12

ग. बालमुकुंद राय, बचाव साक्षी सं. 3 12

iii. सत्र न्यायालय का निर्णय 12

iv. अपील पर उच्च न्यायालय का निर्णय 15

ख. मुद्दे 16

ग. प्रस्तुत तर्क 17

घ. विश्लेषण 18

i. मृतका का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) के तहत प्रासंगिक है 18

क. पीड़िता की मृत्यु जलने के कारण ही हुई 18

ख. मृतका का कथन उसकी मृत्यु के कारण, परिस्थितियों तथा घटनाओं से मेल खाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई 22

ग. मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता 25

ii. अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के खिलाफ अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है 29

ङ. टिप्पणियां 35

1. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 27 जनवरी 2018 के निर्णय से उद्भूत है। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपील स्वीकार कर ली और अपर सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी.- II, देवघर द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त कर दिया और परिणामत: दंडादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 और 11 अक्टूबर, 2006 को भी अपास्त कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता 1860[1] की धारा 302, 376, 341 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

क. पृष्ठभूमि

2. अभियोजन पक्ष के द्वारा दायर मामला यह है कि प्रतिवादी 7 नवंबर 2004 की दोपहर को नारंगी गांव में पीड़िता (मृतका) के घर में घुसा। आरोप लगाया गया है कि उसने पीड़िता को जमीन पर पटक दिया, उसके साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसे जान से मार देगा। जब वह बचाव के लिए चिल्लाई, तब प्रतिवादी ने कथित तौर पर उस पर केरोसिन डाल दिया और माचिस की तीली से आग लगा दी। चिल्लाने पर उसके दादा, मां और गांव का एक व्यक्ति उसके कमरे में आए। आरोप है कि प्रतिवादी उन्हें देखकर मौके से फरार हो गया।

3. पीड़िता के परिवार (उक्त ग्रामीण सहित) ने आग बुझाई और उसे देवघर सदर अस्पताल ले गए। वहां उसे भर्ती कराया गया और उसके जख्मों का उपचार कराया गया।

1.भा.दं. सं.

पुलिस थाना सारवां के थाना प्रभारी को घटना के बारे में जानकारी मिली और वे देवघर गए। वहां उन्होंने उसी दिन (यानी 7 नवंबर, 2004 को) पीड़िता का 'फर्दबयान' दर्ज किया। पीड़िता ने अपने बयान में घटना का वर्णन किया जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 2 में अंकित है।

4. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस थाना सारवां में प्राथमिकी संख्या 163/2004 दर्ज की गई और अनुसंधान शुरू किया गया। लल्लन प्रसाद अनुसंधान अधिकारी थे और बाद में सुरेश यादव ने उनसे अनुसंधान का प्रभार लिया। अनुसंधान पूरा होने पर, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत अनुसंधान अधिकारी ने भा.दं.सं. की धारा 307, 341, 376 और 448 के तहत अपराधों के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 14 दिसम्बर 2004 को पीड़िता की मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत पूरक आरोप-पत्र समर्पित किया गया।

5. प्रतिवादी ने अपने दोष से इनकार किया।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 12 गवाहों का परीक्षण कराया और बचाव पक्ष ने तीन गवाहों का परीक्षण कराया। गवाहों का मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण तथा गवाहों की प्रामाणिकता निम्नानुसार है-

i. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण कराए गए गवाहों की गवाही का अवलोकन

क. <u>लल्लन प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं. 11</u>

7. सारवां थाना प्रभारी लल्लन प्रसाद ने बयान दिया है कि उन्हें 7 नवंबर 2004 को उक्त घटना के बारे में जानकारी मिली, जिस पर वे देवघर पहुंचे। उन्होंने उसी दिन सदर अस्पताल, देवघर में पीड़िता का बयान अपनी लिखावट में दर्ज किया और उसका बयान उसे पढ़ कर सुनाया। पीड़िता ने उनकी उपस्थिति में बयान पर हस्ताक्षर किए और फिर उन्होंने स्वयं भी बयान पर हस्ताक्षर किए। लल्लन प्रसाद की उपस्थिति में, पीड़िता के दादा-दादी और उक्त ग्रामीण ने बयान पर हस्ताक्षर किए और डॉ. आर. के. पांडेय ने प्रमाणित किया कि पीड़िता बयान देने में सक्षम थी और उन्होंने भी बयान पर हस्ताक्षर किए। लल्लन प्रसाद ने कहा कि डॉ. आर. के. पांडेय उस समय उपस्थित थे जब उन्होंने मृतका का बयान दर्ज किया था।

8. उसके बाद उन्होंने डॉ. आर. के. पांडेय और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। एक वरिष्ठ नर्स रेखा दासगुप्ता ने पीड़िता के अंतर्वस्त्र सुपुर्द किए। लल्लन प्रसाद ने उन्हें जब्त किया और जब्ती सूची तैयार की।

9. आई.ओ. ने कहा कि उन्होंने घटनास्थल की जांच की। वहां जले हुए कपड़े, खाली बोतल, जो केरोसिन की-सी प्रतीत हो रही थी, पाए गए। बरामदे में धूल थी, जहां अपराध किया गया बताया जाता है। उन्होंने देखा कि दीवार और फर्श पर जलने के निशान थे। उन्होंने जले हुए कपड़े और खाली बोतल जब्त की और जब्ती सूची तैयार की। उन्होंने कई अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए।

10. प्रतिपरीक्षण के दौरान सवालों के जवाब में लल्लन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने सीजेएम, देवघर से प्रतिवादी या मृतका का बयान दर्ज करने के लिए आवेदन नहीं किया था।

इसके अलावा, उन्होंने उस समय ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर या सिविल सर्जन से पीड़िता का बयान दर्ज करने का अनुरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही पीड़िता का बयान दर्ज किया क्योंकि उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था।

11. उन्होंने कहा कि उन्हें यह याद नहीं है कि पीड़िता को गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया गया था या सामान्य वार्ड में। वे उस वार्ड में भर्ती रोगियों की संख्या भी नहीं बता सके। अनुसंधान अधिकारी ने बयान दिया कि उन्हें माचिस का डिब्बा, मिट्टी के तेल का दीपक, लालटेन या ऐसी अन्य कोई सामग्री भी नहीं मिली, जिससे घटनास्थल पर आग लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने घटनास्थल से जब्त की गई खाली बोतल को प्रयोगशाला में नहीं भेजा क्योंकि उसे जब्त करने के तुरंत बाद उसका स्थानांतरण कर दिया गया था।

ख. *डॉ. आर. के. पांडेय, अभियोजन साक्षी सं. 6*

12. सदर अस्पताल के एक चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर. के. पांडेय ने गवाही दी कि उन्होंने 7 नवंबर 2004 को पीड़िता की जांच की थी, जब उसे जली हुई अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। उन्होंने प्रमाणित किया कि मृतका बयान देने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम थी। जिस समय मृतका ने लल्लन प्रसाद को बयान दिया, उस समय डॉ. आर. के. पांडेय मृतका के बगल वाली मेज पर किसी रोगी की जांच कर रहे थे।

ग. *डॉ. मीनू मुखर्जी, अभियोजन साक्षी सं. 9*

13. सदर अस्पताल में एक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉ. मीनू मुखर्जी ने साक्ष्य दिया कि जब पीड़िता का उपचार हो रहा था, उस समय वह भी पीड़िता की जांच के

लिए गठित मेडिकल बोर्ड की सदस्य थी। डॉ. मीनू ने गवाही दी कि मेडिकल बोर्ड ने 7 नवंबर 2004 को मृतका की जांच की और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले:

क. मृतका के जघन क्षेत्र, स्तनों और अगली खोपड़ी में जलने के घाव थे।

ख. मृतका के जघन क्षेत्र में 'बाहरी बाल' नहीं पाए गए।

ग. योनि पर धब्बों की पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट से पता चला कि मृतका के जघन क्षेत्र में कोई स्पर्म (जीवित या मृत) नहीं था।

घ. योनि जांच से पता चला कि दो उंगलियां आसानी से प्रविष्ट की जा सकतीं थी।

ङ. मृतका के 14 ऊपरी और 14 निचले दांत थे, अर्थात अभी पूरे नहीं हुए थे। जघन सहवर्धन 40% था। उसकी कलाई के एक्स-रे से पता चला कि उसकी उम्र 17 साल से कम है।

14. जांच और निष्कर्षों के आधार पर मेडिकल बोर्ड ने राय दी किः

क. मृतका की आयु लगभग 16 वर्ष थी।

ख. संभोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती।

मेडिकल बोर्ड के इस निष्कर्ष एवं मंतव्य को डॉ. मीनू मुखर्जी द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में दर्ज किया गया था। मेडिकल बोर्ड के अन्य सदस्यों ने भी इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए।

15. प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्नों के उत्तर में डॉ. मीनू मुखर्जी ने कहा कि संभोग के 72 घंटे बाद तक गतिशील शुक्राणु और संभोग के 7-10 दिन बाद तक गतिहीन शुक्राणु देखे जा

सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है मृतका ने कथित अपराध की तारीख से पहले संभोग किया होगा, और उसकी योनि में दो उंगलियों के प्रवेश हो सकने का अर्थ है कि उसे संभोग करने की आदत थी। उन्होंने बचाव पक्ष की इस बात का भी खंडन किया कि उन्होंने ऐसी मेडिकल रिपोर्ट इसलिए तैयार की है, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने ऐसा करने के लिए उन पर दबाव डाला था।

घ. *डॉ. आर. महतो, अभियोजन साक्षी सं. 8*

16. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आर. महतो ने गवाही दी कि उन्होंने 14 दिसंबर 2004 को मृतका के शरीर का अंत्यपरीक्षण किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले :

क. मृत शरीर के विभिन्न स्थानों पर अल्सर थे। उसके सिर, चेहरे और छाती पर कई पपड़ियां थीं। ये जख्म गंभीर रूप से जलने के कारण हुए और लगभग छह सप्ताह पहले के थे।

ख. शरीर के अंत्यपरीक्षण से पता चला कि खोपड़ी सही-सलामत थी, मस्तिष्क पदार्थ पीला पड़ गया था, फेफड़े भी पीले थे, हृदय के दाहिने कक्ष में रक्त था और बायां कक्ष खाली था, पेट और मूत्राशय खाली थे। यकृत, प्लीहा और गुर्दे संकुचित थे।

17. अपने मंतव्यों के आधार पर डॉ. आर. महतो ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता की मृत्यु सेप्टीसीमिया के कारण हुई, जो पीड़िता के गंभीर रूप से जलने का परिणाम था। उन्होंने अपने निष्कर्षों और मंतव्य को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया।

18. प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा कि सेप्टीसीमिया से पीड़िता लोगों की मानसिक स्थिति में बदलाव आ सकता है, जिसके कारण वे चिड़चिड़े हो सकते हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मृतका का इलाज कर रहे एक डॉक्टर ने उसे बोकारो बर्न अस्पताल रेफर कर दिया था।

ङ *सुरेश यादव, अभियोजन साक्षी सं. 12*

19. सारवां के पुलिस अधिकारी सुरेश यादव ने साक्ष्य दिया कि उन्होंने 18 नवंबर 2004 को इस मामले के अनुसंधान का प्रभार लल्लन प्रसाद से ग्रहण किया। उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 341, 376 और 448 के तहत अपराधों के लिए द.प्र.सं. की धारा 173 के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। जब उन्हें पता चला कि पीड़िता की 14 दिसंबर 2004 को मृत्यु हो गई, तो वे सदर अस्पताल गए और द.प्र.सं. की धारा 174 के तहत मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की और भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत प्रतिवादी के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

च. *रेखा दासगुप्ता, अभियोजन साक्षी सं. 7*

सदर अस्पताल की नर्स रेखा दासगुप्ता लल्लन प्रसाद द्वारा तैयार की गई जब्ती सूची की गवाह थीं, जब मृतका के अंतर्वस्त्र जब्त किए गए थे।

छ. *पक्षद्रोही गवाह*

निम्नलिखित गवाहों ने शुरू में अभियोजन पक्ष का समर्थन किया लेकिन बाद में उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया :

क. पार्वती देवी, अभियोजन साक्षी सं. 1 (मृतका की मां)

ख. विभूति भूषण राय, अभियोजन साक्षी सं. 2 (मृतका के दादा)

ग. मृत्युंजय राय, अभियोजन साक्षी सं. 3

घ. संजय कुमार, अभियोजन साक्षी सं. 4

ङ. सुनील कुमार रॉय, अभियोजन साक्षी सं. 5 और

च. बाल कृष्ण राय, अभियोजन साक्षी सं. 10

ii. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही का अवलोकन

क. *धीरेंद्र राय, बचाव साक्षी सं. 1*

22. नारंगी गांव के निवासी धीरेंद्र राय ने साक्ष्य दिया कि प्रतिवादी के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया है और काशी राय और प्रतिवादी के बीच भूमि की सिंचाई संबंधी कुछ विवाद था। उन्होंने गवाही दी कि जब वे मृतका के घर में गए, तो देखा कि पीड़िता जल रही थी लेकिन उसने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया। उनके अनुसार, उस समय मृतका के परिवार का कोई भी सदस्य वहां मौजूद नहीं था।

23. प्रतिपरीक्षण के दौरान सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उक्त मामले के अनुसंधान के दौरान गांव में गए हुए पुलिसकर्मियों को उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था।

ख. *दशरथ तिवारी, बचाव साक्षी सं. 2*

24. नारंगी गांव के निवासी दशरथ तिवारी ने बयान दिया कि उसने मृत महिला को जलने के बाद देखा था और वह बोलने की स्थिति में नहीं थी।

ग. *बालमुकुंद राय, बचाव साक्षी सं. 3*

25. नारंगी गांव के निवासी बालमुकुंद राय ने गवाही दी कि वह खाना बनाने के दौरान दुर्घटना में जल गई थी।

iii. सत्र न्यायालय का निर्णय

26. सत्र न्यायालय ने दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 को पारित आदेश के द्वारा प्रतिवादी को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 302, 341, 376 और 448 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया। सत्र न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर 2006 को पारित आदेश के द्वारा भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के कारण प्रतिवादी को आजीवन कठोर कारावास और भा.दं. सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के कारण 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह भी निर्देश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। भा.दं.सं. की धारा 341 और 448 के तहत किए गए दंडनीय अपराधों के लिए अलग सजा की आवश्यकता नहीं समझी गई।

भाग क

27. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना तथा विधि के सिद्धांतों के आधार पर सत्र न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार दोषसिद्धि की :

क. बचाव पक्ष के इस कथन को स्वीकार नहीं किया गया कि मृत्यु से पूर्व मृतका का बयान दर्ज करते समय उसकी मानसिक फिटनेस का कोई प्रमाण नहीं था; क्योंकि डॉ. आर. के. पांडेय ने प्रमाणित किया था कि मृतका बयान देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम थी।

ख. बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतका के परिवार के सदस्यों को पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया था, जिससे अभियोजन पक्ष का मामले में दम नहीं रहा। न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष का कहना यह नहीं था कि पक्षद्रोही गवाह इस मामले की घटना के चश्मदीद गवाह थे, बल्कि पक्षद्रोही गवाहों का परीक्षण करने का उद्देश्य यह साबित करना था कि मृतका ने अपने परिवार वालों को बताया कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे जला डाला। सत्र न्यायालय ने यह भी कहा कि पक्षद्रोही गवाहों को रिश्वत देकर अथवा जान-माल की धमकी देकर आरोपी के खिलाफ गवाही न देने के लिए राजी किया जा सकता है। केवल इस एक तथ्य से अभियोजन पक्ष का मामला बेदम साबित नहीं होता।

ग. किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा मृत्युकालिक कथन दर्ज करने पर रोक नहीं है।

घ. अभियोजन साक्षी सं. 11 ने बयान दिया कि डॉ. बी. के. पांडेय ने प्रमाणित किया कि मृतका मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ थी। जबकि वह डॉ. आर. के. पांडेय

(अभियोजन साक्षी सं. 6) थे। यह केवल लिखने में हुई गलती मात्र थी। इसलिए बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया कि बी. के. पांडेय नामक एक डॉक्टर सदर अस्पताल में ड्यूटी पर थे और उन्होंने यह प्रमाणित करने से इनकार कर दिया था कि मृतका बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थी।

ङ. डॉ. आर. के. पांडेय ने बयान दिया कि मृतका गहन पीड़ा में थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अनुसंधान अधिकारी को बयान देते समय पूरी तरह से होश में नहीं थी।

च. डॉ. मीनू मुखर्जी ने बयान दिया कि उन्हें बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला। परंतु इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि प्रतिवादी ने मृतका का बलात्कार किया था या नहीं। चिकित्सा अधिकारियों के मंतव्य से तथ्यों के गवाहों का महत्व कम नहीं हो जाता।

छ. घटनास्थल से जब्त की गई बोतल रासायनिक विश्लेषण के लिए नहीं भेजी गई। परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रतिवादी ने मृतका के ऊपर मिट्टी का तेल नहीं डाला था।

सत्र न्यायालय ने कहा है कि मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक और विश्वसनीय था तथा इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अतः यह निर्णय दिया गया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया और प्रतिवादी को मृत्युकालिक कथन के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 302, 341, 376 और 448 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार दिया।

iv. अपील पर उच्च न्यायालय का निर्णय

28. प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की। दिनांक 27 जनवरी, 2018 को पारित फैसले में उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को बरी कर दिया :

क. मृतका के परिवार वालों को पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया था।

ख. डॉ. आर. के. पांडेय ने मुख्य परीक्षण के दौरान कहा कि मृत्यु पूर्व बयान उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था। हालांकि, उन्होंने प्रतिपरीक्षण के दौरान अपनी बात का खंडन करते हुए कहा कि वह उस कमरे के बगल में एक अन्य रोगी को देख रहे थे, जिसमें मृतका का इलाज किया जा रहा था। इसलिए, मृत्युकालिक कथन उनकी उपस्थिति में दर्ज नहीं किया गया था।

ग. डॉ. आर. महतो ने प्रतिपरीक्षण के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पीड़िता के परिवार को बेहतर उपचार के लिए बोकारो बर्न अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई थी लेकिन वे उसे नहीं ले गए।

घ. मृतका का बयान मृत्यु पूर्व कथन के रूप में ग्राह्य नहीं है। इसके लिए **मोती सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] के मामले में दिए गए निर्णय का प्रमाण दिया गया।

ङ. डॉ. मीनू मुखर्जी (अभियोजन साक्षी सं. 9) ने जब पीड़िता की जांच की तो उन्हें संभोग का कोई संकेत नहीं मिला।

---

2. एआईआर 1964 एससी 900

इन कारणों से, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया और उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी। इस कार्यवाही के लिए 2 जनवरी, 2019 को नोटिस जारी किया गया था।

ख. मुद्दे

29. पक्षकारों की ओर से दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर, निर्णय के लिए दो प्रश्न उठते हैं :

क. क्या मृतका का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872[3] की धारा 32 (1) के तहत प्रासंगिक है?

ख. क्या अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

---

3. साक्ष्य अधिनियम

ग. प्रस्तुत तर्क

30. श्री विष्णु शर्मा ने अपीलकर्ता की ओर से बहस की। उनके तर्क इस प्रकार थे :

क. उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों पर सही ढंग से विचार नहीं किया। डॉ. आर. के. पांडेय मृतका के बगल वाली मेज पर रोगी देख रहे थे, न कि उस कमरे के बगल वाले कमरे में, जिसमें मृतका भर्ती थी।

ख. मृतका का पोस्टमार्टम मृत्यु के 12 घंटे के भीतर किया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुत अधिक जल जाने के कारण उत्पन्न सेप्टिसीमिया उसकी मौत का कारण था।

31. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों का प्रतिवादी पक्ष ने विरोध किया। उनके अधिवक्ता श्री ब्रज किशोर मिश्रा ने निम्नलिखित तर्क दिए :

क. यद्यपि मृत्युकालिक कथन यह इंगित करता है कि प्रतिवादी ने मृतका के साथ बलात्कार किया, परंतु मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। यह सिद्ध करने के लिए कि प्रतिवादी ने मृतका के साथ बलात्कार किया, मृत्युकालिक कथन के अलावा और कोई साक्ष्य नहीं है।

ख. घटना की शिकायत दर्ज कराए जाने के लगभग एक महीने बाद पीड़िता की मृत्यु हुई। इसलिए अनुसंधान अधिकारी को मृतका द्वारा दिया गया बयान मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता।

घ. विश्लेषण

i. मृतका का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 (1) के तहत प्रासंगिक है।

क. पीड़िता की मृत्यु जलने के कारण ही हुई

32. डॉ. आर. महतो (अभियोजन साक्षी सं. 8) द्वारा तैयार की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की मृत्यु का कारण सेप्टिसीमिया था, जो पीड़िता के गंभीर रूप से जलने के कारण उत्पन्न हुआ था। बचाव पक्ष ने इस निष्कर्ष की सत्यता पर सवाल उठाने की कोशिश की है।

33. प्रतिपरीक्षण के दौरान एक सवाल के जवाब में डॉ. आर. महतो ने कहा कि उन्हें स्पष्ट रूप से याद है कि मृतका का इलाज कर रहे डॉक्टर ने उसे बोकारो बर्न अस्पताल रेफर कर दिया था। तब भी उसे उस अस्पताल में नहीं ले जाया गया। सत्र न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के दौरान मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल भेजने वाले डॉक्टर का कहीं नाम नहीं लिया गया है और उसे साक्ष्य देने के लिए बुलाया भी नहीं गया। उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल में नहीं ले जाना एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तथ्य के कारण यह साबित नहीं हो सका कि मृतका की मृत्यु जलने के कारण हुई थी। इस तर्क से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि तथाकथित अज्ञात डॉक्टर की (बोकारो बर्न अस्पताल में ले जाने की) सलाह मान ली गई होती, तो पीड़िता की मृत्यु नहीं हुई होती। जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय में उल्लेख

किया गया है, उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार किया और निर्णय दिया कि मृत्यु का कारण सिद्ध न होने के कारण मृतका का कथन वास्तविक मृत्युकालिक कथन नहीं माना जा सकता।

34. डॉ. आर. महतो के इस बयान पर विश्वास किया गया है कि किसी डॉक्टर ने मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल रेफर किया था। इस विश्वास के आधार पर यह कहने की कोशिश की गई है कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ था और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। बचाव पक्ष के वकील ने डॉ. आर. महतो की गवाही पर विश्वास करते हुए साबित करने की कोशिश की है कि :

क. एक अज्ञात डॉक्टर ने मृतका की जांच की।

ख. उस डॉक्टर ने सलाह दी कि मृतका का इलाज बोकारो बर्न अस्पताल में किया जाए।

ग. उस डॉक्टर ने मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

घ. मृतका और उसके परिवार ने यह सलाह नहीं मानी।

ङ. यदि उसका इलाज सदर अस्पताल के बजाय बोकारो बर्न अस्पताल में किया गया होता, तो पीड़िता की मौत नहीं हुई होती।

डॉ. आर. महतो का बयान (केवल उतना ही, जिसमें वे कहते हैं कि किसी चिकित्सक ने कथित रूप से मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल में रेफर किया था) साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है।

धारा 60 में प्रावधान है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए :

" मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए – मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों, प्रत्यक्ष ही होगा, अर्थात् :-

यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा;

यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;

यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध उस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया;

यदि वह किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर वह राय धारित है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उन आधारों पर धारण करता है :

परन्तु विशेषज्ञों के विचार, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त हैं, और वे आधार, जिन पर ऐसी राय आधारित हैं, यदि रचयिता मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे :

> परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।
>
> (इस पर जोर दिया गया है)

35. यहां अप्रत्यक्ष रूप से यह साबित करने की कोशिश की गई है कि किसी अज्ञात डॉक्टर ने मृतका को बोकारो बर्न अस्पताल रेफर किया था। डॉ. आर. महतो के प्रतिपरीक्षण में से यह तथ्य निकालने की कोशिश की गई है कि मृतका के सर्वोत्तम उपचार हेतु उक्त अज्ञात चिकित्सक की राय ही महत्वपूर्ण थी। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मौखिक साक्ष्य, जो किसी विचार के संबंध में है, उक्त विचार को रखने वाले व्यक्ति का प्रत्यक्ष साक्ष्य ही होना चाहिए। उनकी गवाही (का यह बिंदु जिसमें कहा गया है कि पीड़िता को किसी डॉक्टर द्वारा बोकारो बर्न अस्पताल रेफर किया गया था) अस्वीकार्य है और अनुश्रुत साक्ष्य ही माना जाएगा। तथापि, उसकी गवाही के मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके अन्य उत्तरों में कोई दोष नहीं है। उनकी गवाही में उनकी अपनी राय और उन आधारों का जिक्र है, जिन आधारों पर उन्होंने उक्त राय कायम की है। उसकी गवाही का शेष भाग, जिसमें पीड़िता की मृत्यु का कारण भी शामिल है, निस्संदेह स्वीकार्य है। डॉ. आर. महतो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीड़िता की मृत्यु का कारण जलने के कारण उत्पन्न हुआ सेप्टिसीमिया है।

36. उच्च न्यायालय, **मोती सिंह** (पूर्वोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पीड़िता का कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में मान्य

नहीं है। उक्त मामले में, आरोपी पर पीड़ित को गोली मारने का आरोप था। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज किया गया और बाद में उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गोली लगने से घायल होने के कुछ सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई और पोस्टमॉर्टम से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसलिए इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पीड़ित की मृत्यु के कारण से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। परिणामस्वरूप, उसके कथन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 (1) के तहत उसकी मृत्यु के कारण, कार्य या परिस्थिति संबंधी कथन नहीं माना गया था। उच्च न्यायालय का मोती सिंह (पूर्वोक्त) मामले पर भरोसा करना गलत है क्योंकि वर्तमान मामले में अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन स्थापित करता है कि पीड़िता की मृत्यु जलन के कारण उत्पन्न हुई सेप्टीसीमिया है। अतः वर्तमान मामले में पीड़िता का बयान वास्तव में उसकी मृत्यु के कारण और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रासंगिक है, जिनके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि अगले खंड में विस्तार से बताया गया है।

ख. मृतका का बयान उसकी मृत्यु के कारण और कार्य की परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

37. साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में यह प्रावधान है कि कुछ विशेष मामलों में उन व्यक्तियों के बयान सुसंगत होंगे, जिन्हें गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता (और इसलिए वे प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दे पाए)। मृत्युकालिक कथन को धारा 32 की उपधारा (1) के तहत स्वीकार्य बताया गया है :

32. **वे दशाएँ जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि -- सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया** है या मिल नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है **निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत है :-**

(1) जबकि वह मृत्यु के कारण से संबंधित है -- **जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो ।**

ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे, मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।"

(इस पर जोर दिया गया है)

38. धारा 32 के तहत, सुसंगत तथ्यों के बयान (लिखित या मौखिक) अपने आप में ही सुसंगत तथ्य हैं यदि वे बयान निम्नलिखित प्रकार के लोगों द्वारा दिए जाते हैं :

क. कोई व्यक्ति जो मर चुका हो

ख. कोई व्यक्ति जिसकी खोज न की जा सके

ग. कोई व्यक्ति जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो या

घ. कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय में बिना विलंब या खर्च के उपस्थित नहीं किया जा सके।

उपधारा (1) का अर्थ यह है कि ऐसे मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो, तो उस व्यक्ति का बयान सुसंगत होगा यदि वह बयान निम्नलिखित से संबंधित हो :

क. मृत्यु का कारण अथवा

ख. उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई।

39. वर्तमान मामले में, पीड़िता का बयान धारा 32 की उपधारा (1) में निर्धारित शर्तें पूरा करता है क्योंकि यह बयान उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। ऐसा इसलिए है क्योंकि बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि मौत का कारण सेप्टीसीमिया है, जो मृतका के गंभीर रूप से जल जाने कारण हुई है। मृतका के बयान से पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला देने के परिणामस्वरूप ही वह जली थी।

40. इसके अलावा, मृतका के बयान से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादी ने उसे जलाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया। यह घटना उस संव्यवहार की परिस्थितियों का वर्णन है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। इसलिए मृतका का बयान, उपधारा 32 (1) की शर्तों को पूरा करता है और अपने आप में ही सुसंगत तथ्य है। इस अपील पर निर्णय देने के

लिए इसे मृत्युकालिक कथन माना जाएगा।

ग. *मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता और प्रामाणिकता*

41. इस आशय का कोई नियम नहीं है कि किसी मजिस्ट्रेट के बजाय पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए जाने पर मृत्युकालिक कथन अस्वीकार्य होगा।[4] यद्यपि आदर्श परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन दंडाधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए, तथापि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई मृत्युकालिक कथन केवल इसलिए स्वीकार्य नहीं होगा कि वह एक पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज किया गया है। यह मुद्दा कि क्या किसी पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज किया गया बयान स्वीकार्य है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करके ही निर्णय किया जाना चाहिए।

42. **खुशहाल राव** बनाम **बम्बई राज्य**[5] वाले मामले में इस न्यायालय के द्वारा मानदंड तैयार किया है, जिसके आधार पर मृत्युकालिक बयानों का मूल्यांकन किया जा सकता हैः

> "16... (1) ऐसा कोई स्पष्ट कानूनी नियम नहीं बनाया जा सकता कि कोई मृत्युकालिक बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं होगा, जब तक कि उस बयान की पुष्टि नहीं हो जाती।
>
> (2) प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले की उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके तथ्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए, जिन परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन दर्ज किया गया था।

---

4. कर्नाटक राज्य बनाम शरीफ (2003) 2 एससीसी 473, भागीरथ बनाम हरियाणा राज्य (1997) 1 एससीसी 481

5. एआईआर 1958 एससी 22

(3) ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है कि मृत्युकालिक कथन अन्य साक्ष्यों की तुलना में कमजोर सबूत होता है।

(4) यह कि मृत्युकालिक कथन उसी आधार खड़ा होता है जिस प्रकार साक्ष्य का दूसरा अंश और इससे संबंधित परिस्थितियों के आधार पर और साक्ष्यों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार ही निर्णय किया जाना चाहिए।

(5) यह कि मृत्युकालिक कथन, जो सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रश्नोत्तरी के रूप में यथासंभव बयान देने वाले के ही शब्दों में उचित रीति से दर्ज किया गया हो, उस मृत्युकालिक कथन की तुलना में अच्छा माना जाएगा, जो केवल मौखिक साक्ष्य पर आधारित तथा मानव स्मृति और मानव चरित्र की दुर्बलताओं से ग्रस्त हो। और

(6) मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करते समय न्यायालय को मृत्यून्मुख व्यक्ति को अवलोकन के लिए प्राप्त अवसर जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि अपराध रात में किया गया हो, तो पर्याप्त प्रकाश था या नहीं, उस व्यक्ति स्मरण शक्ति ठीक बताई गई है या नहीं, जब वह बयान दे रहा था उस समय परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर होने के कारण वह बयान देने में सक्षम था या नहीं, यदि उसने आधिकारिक रिकॉर्ड के अलावा और भी मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के कई अवसर थे, तो यह बयान पूरी तरह से सुसंगत रहा है और बयान सबसे पहले अवसर पर दर्ज किया गया हो, तथा यह हितबद्ध पक्षों द्वारा उसे सिखाए जाने का नतीजा नहीं था।"

43. इस तथ्य से, कि मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तरी शैली में नहीं है, उसकी स्वीकार्यता या उसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि **राम बिहारी यादव** बनाम **बिहार राज्य**[6] के मामले में निर्णय दिया किया गया है :

" "9 ... सामान्यत: मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तरी शैली में दर्ज किया जाना

6. (1998) 4 एससीसी 517

> चाहिए, लेकिन अगर यदि कोई मृत्युकालिक कथन विस्तृत न हो, केवल कुछ वाक्य हों और वह बयान दाता के वास्तविक शब्दों में हो, तो उस बयान का सिर्फ प्रश्नोत्तरी शैली में न होना उसकी स्वीकार्यता या विश्वसनीयता का आधार नहीं हो सकता।"

44. इसके अतिरिक्त, जैसा कि इसी न्यायालय द्वारा **सुरिंदर कुमार** बनाम **पंजाब राज्य**[7] वाले मामले में भी कहा गया था कि मृत्युकालिक कथन को हमेशा प्रश्नोत्तरी रूप में दर्ज करना हमेशा संभव नहीं होता है :

> "19 जहां तक हमारे समक्ष इस मामले का संबंध है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने के लिए कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं है। वास्तविकता यह है कि ऐसा कोई प्रारूप निर्धारित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए, यह अनिवार्य नहीं है कि मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तरी रूप में ही दर्ज किया जाए। कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं, जब ऐसा करना संभव हो और कुछ अन्य मामलों में ऐसा करना संभव न हो। तात्कालिक स्थिति में अथवा बयान दर्ज करते समय पीड़ित व्यक्ति के दर्द और पीड़ा के कारण ऐसा करना संभव नहीं भी हो सकता है।"

45. अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने यह गलत कहा है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान डॉ. आर. के. पांडेय ने कहा कि वे बगल के कमरे में दूसरे मरीज की जांच कर रहे थे, जब मृत्युकालिक कथन दर्ज किया जा रहा था। प्रतिपरीक्षण के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि डॉ. आर. के. पांडेय ने कहा था कि वे बगल की मेज पर किसी रोगी की जांच कर रहे थे (जबकि उच्च न्यायालय ने गलती करते हुए कहा कि वे बगल के कमरे में रोगी की जांच कर रहे थे)। उच्च न्यायालय ने गलती से इसी तथ्य पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाल लिया कि पीड़िता

---

7. (2012) 12 एससीसी 120

का बयान मृत्युकालिक कथन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिपरीक्षण के दौरान डॉ. आर. के. पांडेय से पूछे गए सवालों के जवाब से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बयान दर्ज करते समय वे दूसरे कमरे में थे - स्पष्ट है कि वे उसी कमरे में थे और उनकी उपस्थिति में लल्लन प्रसाद ने मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था। लल्लन प्रसाद और डॉ. आर. के. पांडेय दोनों ने ही परीक्षण के दौरान यह बात प्रमाणित की है।

46. डॉ. आर. के. पांडेय ने यह भी कहा है कि मृतका बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थी और उन्होंने इसे लिखित रूप से भी प्रमाणित किया है। मृत्युकालिक कथन को पीड़िता के शब्दों में ही दर्ज किया गया, उसे पढ़ कर सुनाया गया, उसके बाद उसने उस पर हस्ताक्षर किए। हमारे पास यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि बयान सिखाया हुआ था अथवा मृतका बयान देने में असमर्थ थी। अभिलेख से इस बात का भी कोई संकेत नहीं मिलता है कि मृतका और प्रतिवादी के बीच कोई दुश्मनी थी, जिसके कारण मृतका घटनाओं का झूठा विवरण देगी और प्रतिवादी को गलत तरीके से फंसाएगी।

47. इसके अलावा, लल्लन प्रसाद यह याद नहीं रख सके कि मृतका को सामान्य वार्ड में भर्ती किया गया था या आईसीयू में। इस तथ्य से मृत्युकालिक कथन झूठा साबित नहीं होता क्योंकि डॉ. आर के पांडेय ने यह गवाही दी है कि उक्त बयान उनके सामने ही दर्ज किया गया था।

48. इसलिए हमें विश्वास है कि यह मृत्युकालिक कथन स्वैच्छिक रूप दिया गया था और सही है। मृतका मानसिक रूप से सक्षम थी जब उसने लल्लन प्रसाद को यह बयान दिया।

ii. अभियोजन पक्ष ने मामले को प्रतिवादी के खिलाफ युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है।

49. मृत्यु पूर्व दिए गए बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादी ने मृतका के साथ बलात्कार किया, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मौत का कारण सेप्टिसीमिया था, जो जलने के परिणामस्वरूप हुआ था। अतः पीड़िता की मृत्यु, प्रतिवादी द्वारा उसे जलाए जाने का सीधा परिणाम थी। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रतिवादी के दोष के बारे में युक्तियुक्त संदेह पैदा करे।

50. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निवेदन किया है कि मेडिकल बोर्ड को बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला है और इसलिए प्रतिवादी मृतका के साथ बलात्कार का दोषी नहीं है। मेडिकल बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि संभोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु इस संबंध में कोई निश्चित राय भी नहीं दी जा सकती। बलात्कार किए जाने के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में यह नहीं माना जा सकता कि मृतका का बलात्कार नहीं किया गया था। उसके मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रतिवादी ने उसे जलाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि मृत्युकालिक कथन अन्यथा संदिग्ध न हो तब भी उस बयान को चिकित्सकीय अथवा अन्य किसी साक्ष्य से संपुष्ट करना होगा।

51. **विष्णु** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[8] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी तथ्य की सत्यता सिद्ध करने में चिकित्सा विशेषज्ञ की राय निर्णायक नहीं होगी:

> "चिकित्सा अधिकारी की राय न्यायालय की सहायता के लिए है क्योंकि वह उस तथ्य का गवाह नहीं है और चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में सलाह की प्रकृति का होता है, वह तथ्य के गवाहों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता।"

52. **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **राम सागर यादव**[9] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न तो कानून का कोई नियम है और न ही यह विवेकसम्मत है कि किसी मृत्युकालिक कथन के आधार पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक उसकी पुष्टि न कर ली जाए :

> 13. यह एक स्थापित तथ्य है कि कानूनी रूप में, किसी मृत्युकालिक कथन पर बिना किसी संपुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है। (खुशहाल राव बनाम बॉम्बे राज्य [एआईआर 1958 एससी 22 :1958 एससीआर 552:1938 क्रिमिनल लॉ जर्नल 106]; हरबंस सिंह बनाम पंजाब राज्य [एआईआर 1962 एससी 439:1962 सप्लीमेंट्री (1) एससीआर 104:(1962) 1 क्रिमिनल लॉ जर्नल 479); गोपाल सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1972) 3 एस. सी. सी. 268:1972 एससीसी (क्रिमिनल) 513:(1972 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1045,]) यह विवेकसम्मत भी नहीं है कि ऐसा कोई कठोर कानून हो कि किसी मृत्युकालिक कथन के आधार पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब तक उसकी पुष्टि न की जाए। अदालत का प्राथमिक प्रयास यह पता लगाना है कि क्या मृत्युकालिक कथन सही है। यदि बयान सही है

---

8. (2006) 1 एससीसी 283
9. (1985) 1 एससीसी 552

> तो इसकी पुष्टि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पुष्टि की आवश्यकता केवल तब है जब मृत्युकालिक कथन की परिस्थितियां स्पष्ट या विश्वसनीय न हो। तब न्यायालय स्वयं आश्वस्त होने के लिए मृत्युकालिक कथन की संपुष्टि की तलाश कर सकता है।"

53. अभियोजन साक्षी सं. 1 से 5 और अभियोजन साक्षी सं. 10 (मृतका के परिवार वाले और उसके अन्य परिचित व्यक्ति) सत्र न्यायालय में कार्यवाही के दौरान पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए थे। पीड़िता की मृत्यु के बाद (या उससे पहले भी) विभिन्न कारणों से गवाहों का पलट जाना आम बात है। **रमेश** बनाम **हरियाणा राज्य**[10] के मामले में इस न्यायालय ने गवाहों के पलट जाने के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित कुछ कारण बतलाए थे :

> 44. विभिन्न मामलों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं, जिससे गवाह अदालत के समक्ष अपने बयान से मुकर जाते हैं और पक्षद्रोही हो जाते हैं :
>
> (i) डराना/धमकी देना।
> (ii) विभिन्न तरीकों का प्रलोभन देना।
> (iii) आरोपियों द्वारा बाहुबल और धन बल का उपयोग।
> (iv) झूठे गवाहों का उपयोग।
> (v) विचारण में लगने वाला अत्यधिक समय।
> (vi) अनुसंधान और विचारण के दौरान गवाहों के सामने आने वाली बाधाएं।
> (vii) साक्षी के पक्षद्रोही होने की जांच के लिए कोई स्पष्ट विधान न होना।
>
> ....
>
> 48. उपर्युक्त कारणों के अलावा, गवाहों के पक्षद्रोही होने का एक और

---

10. (2017) 1 एससीसी 529

> महत्वपूर्ण कारण 'समझौते की प्रवृत्ति' भी बताई जा सकती है। बलात्कार के विचारणों में ऐसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए, प्रतीक्षा बख्शी ने अपनी पुस्तक [जस्टिस इज ए सीक्रेट : 'कॉम्प्रोमाइज इन रेप ट्रायल्स' (2010) 44, अंक 3, भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, पृष्ठ 207-233] में इस समस्या को इस प्रकार लिखा है :
>
> "... यहां गवाहों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जो आतंक को सामाजिक-कानूनी समझौते की सौदेबाजी में बदल देता है। यही कारण है कि यदि पीड़िता अपनी जिजीविषा नहीं खोती, तो भी अभियोजन पक्ष के गवाह मुकदमे के विचारण का समय आने तक अकसर ही अपने बयान से पलट जाते हैं।... "

54. इन कारकों के अलावा, जो गवाह मृतका/पीड़िता को जानते हैं, वे भी पलट जाते हैं क्योंकि वे भी अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। किसी प्रियजन के बलात्कार और मृत्यु के समय की परिस्थितियों के बारे में साक्ष्य देना अत्यंत पीड़ादायक होता है, तथा आपराधिक न्याय प्रणाली की धीमी गति इस पीड़ा को और भी अधिक बढ़ा देती है।

55. मृतका के परिवार सहित कुछ अन्य गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, केवल इतना ही अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं था कि पक्षद्रोही गवाह अपराध के चश्मदीद गवाह थे बल्कि उन गवाहों की गवाही यह साबित करने के लिए मुख्य रूप से सुसंगत थी कि मृतका ने बार-बार अलग-अलग लोगों से कहा कि प्रतिवादी ने उससे बलात्कार किया और उसकी हत्या की। मृत्युकालिक कथन के समय की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले साक्ष्यों का अभाव, अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करता। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, मृत्यु पूर्व बयान पीड़िता के शब्दों में दर्ज किया गया था और उसे पढ़ कर सुनाया गया था,

उसके बाद उसने हस्ताक्षर किए थे।

56. धीरेंद्र राय (बचाव साक्षी सं. 1) ने गवाही दी कि प्रतिवादी के खिलाफ झूठा मामला दायर किया गया था, लेकिन वे अपनी इस बात के लिए कोई विश्वसनीय कारण नहीं दे पाए। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि भूमि की सिंचाई संबंधी किसी छोटे-से विवाद के कारण मृतका प्रतिवादी पर बलात्कार के झूठे आरोप लगाएगी या उसके द्वारा जलाए जाने के बारे में झूठ बोलेगी, विशेष रूप से तब, जब भूमि की सिंचाई संबंधी कथित विवाद में पक्षकार भी नहीं थी।

57. दशरथ तिवारी (बचाव साक्षी सं. 2) ने गवाही दी कि जल जाने के बाद मृतका बोलने में सक्षम नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से गलत है, जैसा कि लल्लन प्रसाद और डॉ. आर. के. पांडेय दोनों की गवाही से साबित होता है। डॉ. आर. के. पांडेय ने प्रमाणित किया है कि मृतका शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम थी और जब उसका बयान लल्लन प्रसाद ने दर्ज किया, उस समय वे वहीं उपस्थित थे। डॉ. आर. के. पांडेय को प्रतिवादी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही बचाव पक्ष ने ऐसा कुछ कहा है। उनके पास पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में झूठी गवाही देने या उसका बयान दर्ज किए जाने के समय फिटनेस का झूठा प्रमाण पत्र देने का कोई कारण नहीं था।

58. बालमुकुंद राय (बचाव साक्षी सं. 3) ने गवाही दी कि मृतका खाना पकाने के दौरान जल गई थी। हम इसे पूरी तरह से अविश्वसनीय मानते हैं। अभिलेख में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे ऐसा लगे कि मृतका के द्वारा प्रतिवादी को फंसाने के लिए कहानी गढ़ी गई है।

इसके अलावा, ऐसा भी कोई संकेत नहीं है कि कथित दुर्घटना के समय बालमुकुंद राय पीड़िता के घर में मौजूद थे। यदि उसने दुर्घटना देखी है, तो सवाल उठता है कि जब धीरेंद्र राय ने कथित रूप से पीड़िता के घर में प्रवेश किया, उस समय वे कहां थे। मृत्युकालिक कथन, बालमुकुंद राय की गवाही से ज्यादा प्रामाणिक है और उक्त बयान में वर्णित घटनाओं को ही हम सत्य मानते हैं।

59. उपर्युक्त कारणों से, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। उपरोक्त कारणों से, उच्च न्यायालय को सत्र न्यायालय के निर्णय को पलटना नहीं चाहिए था। यद्यपि यह न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेशों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता है, तथापि पूर्ण न्याय करने और तथा न्याय की हत्या पर रोक लगाने के लिए दोषमुक्ति के आदेशों को पलटने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।[11] इसलिए हम 27 जनवरी, 2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करते हैं और सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर 2006 को पारित निर्णय को फिर से बहाल करते हैं जिसमें प्रतिवादी को भा.दं.सं. की धारा 302, 341, 376 और 448 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। इसके साथ ही दिनांक 11 अक्तूबर 2006 को पारित आदेश को भी हम पुनर्बहाल करते हैं, जिसमें प्रतिवादी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के कारण आजीवन कारावास और भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के कारण

---

11. सतबीर बनाम सूरत सिंह (1997) 4 एससीसी 192 पंजाब राज्य बनाम अजायब सिंह (2005) 9 एससीसी 94

10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। ये सजाएं साथ-साथ चलनी हैं। प्रतिवादी को सजा पूरी करने के लिए तुरंत हिरासत में ले लिया जाए।

ङ. टिप्पणियां

60. पीड़िता को संभोग करने की आदत थी या नहीं, यह पता लगाने के लिए जांच करते समय मेडिकल बोर्ड ने एक जांच की, जिसे 'दो उंगली परीक्षण' कहते हैं। इस न्यायालय ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप के मामलों में किए जाने वाले इस शर्मनाक और घृणित परीक्षण करने की बार-बार निंदा की है। इस कथित परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह न ही बलात्कार को प्रमाणित न ही मलामत करता है। बल्कि इससे वे महिलाएं फिर से पीड़ित होतीं हैं और उन्हें दुबारा आघात पहुंचता है, जो शायद यौन उत्पीड़न का शिकार हुई। केवल इतना ही नहीं, यह उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य भी है। दो उंगलियों का परीक्षण या योनि पूर्व परीक्षण बिलकुल नहीं किया जाना चाहिए।

61. **लिलू** बनाम **हरियाणा राज्य**[12] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 'दो अंगुली परीक्षण' निजता, सम्मान और गरिमा के अधिकार का हनन करता हैः

> 13. ... बलात्कार पीड़िताओं को इस प्रकार की कानूनी सहायता के हकदार हैं, जिससे उन्हें दुबारा आघात न लगे तथा उनके शारीरिक या मानसिक सम्मान को ठेस न पहुंचे। वे ऐसी रीति से किए जाने वाले चिकित्सा प्रक्रिया के भी हकदार हैं जो उनके सहमति के अधिकार का सम्मान करता है। चिकित्सा प्रक्रियाएं ऐसी रीति से नहीं की जानी चाहिए, जो क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार हो तथा लिंग आधारित हिंसा के मामलों में

12. (2013) 14 एससीसी 643

> पीड़िता का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यौन हिंसा के पीड़ितों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य के लिए आवश्यक है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए और उनकी निजता पर कोई मनमाना या गैरकानूनी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
>
> 14. इस प्रकार, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए निःसंदेह कहा जा सकता है कि 'दो अंगुली परीक्षण' और इसकी व्याख्या बलात्कार पीड़िताओं की निजता, शारीरिक और मानसिक सम्मान तथा गरिमा का हनन करती है।"

62. किसी महिला को 'संभोग की आदत' है या अभ्यस्त है, यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक हैं कि क्या किसी खास मुकदमें में भा.दं.सं. की धारा 375 के संघटक उपस्थित हैं या नहीं। तथाकथित परीक्षण इस गलत धारणा पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता। सच सबसे अधिक महत्वपूर्ण है- आरोपी ने किसी महिला का बलात्कार किया या नहीं, यह निर्णय करते समय उस महिला के पूर्ववर्ती यौन जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। केवल इतना ही नहीं, किसी महिला के साक्ष्य की प्रामाणिकता उसके पूर्व यौन जीवन पर निर्भर नहीं करता। यह पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट विचार है कि कोई महिला जब कहती है कि कि उसके साथ बलात्कार किया गया, तो केवल इस कारण से उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह यौन रूप से सक्रिय है।

63. विधायिका ने आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 को पारित करते समय स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार किया और अन्य बातों के साथ-साथ धारा 53ए को साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित किया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 53ए के अनुसार, यौन अपराधों के अभियोजनों में पीड़िता के चरित्र या किसी व्यक्ति के साथ उसके पिछले यौन अनुभव सहमति या सहमति की गुणवत्ता के मुद्दे के लिए सुसंगत नहीं होंगे।

64. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन हिंसा के मामलों में चिकित्सा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।[13] इस दिशानिर्देश में 'दो-अंगुली परीक्षण' को प्रतिबंधित किया गया है :

> बलात्कार/यौन हिंसा सिद्ध करने के लिए योनि परीक्षण आम तौर पर 'दो उंगली परीक्षण' ही समझा जाता है, नहीं किया जाना चाहिए। योनि के आकार का यौन हिंसा के मामले से कोई लेना-देना नहीं है। योनि-परीक्षण केवल वयस्क महिलाओं का ही किया जा सकता है जब चिकित्सकीय रूप से ऐसा करना आवश्यक हो।
>
> योनि झिल्ली की जांच भी अनावश्यक है क्योंकि साइकिल चलाने, घुड़सवारी करने, हस्तमैथुन जैसे कई कारणों से झिल्ली फट सकती है। यदि झिल्ली नहीं भी फटी हो, तब भी ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यौन हिंसा नहीं हुई है और फटी झिल्ली यह साबित नहीं करती कि पूर्वकाल में संभोग हुआ ही है। इसलिए यौन हिंसा के मामलों में अनुसंधान के परिणाम दर्ज करते समय योनि झिल्ली को भी जननांगों का एक भाग ही माना जाना चाहिए। केवल वही बातें दर्ज की जानी चाहिए, जो अपराध की घटना (जैसे हाल का कटा हुआ, रक्तस्राव, सूजन आदि) से संबंधित हों।"

65. हालांकि इस मामले में दो अंगुलियों का परीक्षण एक दशक से अधिक समय पहले किया गया था, लेकिन यह खेदजनक है कि यह आज भी जारी है।

66. हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि :

क. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निरूपित दिशा-निर्देश सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में परिचालित करना सुनिश्चित किया जाए।

---

13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिको-लीगल केयर (19 मार्च 2014)

ख. यौन उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िताओं की जांच हेतु अंगीकृत की जाने वाली उचित प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्साकर्मियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करे।

ग. यौन उत्पीड़न और बलात्कार पीड़िताओं की जांच करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में "दो उंगली परीक्षण" या योनि परीक्षण निर्धारित नहीं है, यह सुनिश्चित करते हुए मेडिकल स्कूलों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करें।

67. इस फैसले की एक प्रति सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाए। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव इस निर्णय की प्रतियां प्रत्येक राज्य के प्रधान सचिव (सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग) को भेजेंगे। प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभागों के प्रधान सचिव भी इस फैसले के भाग ङ में दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक राज्य के गृह विभाग के सचिव इस संबंध में पुलिस महानिदेशकों को निर्देश जारी करेंगे। पुलिस महानिदेशक इन निर्देशों की सूचना पुलिस अधीक्षकों को देंगे।

68. कोई भी व्यक्ति जो इस न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करके (यौन अपराध के कथित शिकार व्यक्ति की जांच करते समय) 'दो उंगली परीक्षण' या योनि परीक्षण करेगा, वह कदाचार का दोषी होगा।

69. उपरोक्त शर्तों के अनुसार, अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

70. यदि कोई आवेदन लंबित हो, तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

.....न्याया.

[डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़]

.....न्याया.

(हिमा कोहली)

नई दिल्ली।

31 अक्टूबर, 2022

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में अनूदित निर्णय का उपयोग इतना ही है कि वादी इसे अपनी भाषा में समझ सके। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक कार्यों में तथा निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।